

<p>तारीख हुकम</p> <p>16/2/26</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज</p> <p>न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर अपील संख्या- 54/2022 अंतर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट (GCMS No. 2022/66)</p> <p>अनवानः</p> <ol style="list-style-type: none"> कोजाराम पुत्र नरसीराम जाति नायक निवासी झाड़ेली तहसील नोखा जिला बीकानेर। <p>.....अपीलांट</p> <p>बनाम</p> <ol style="list-style-type: none"> अखाराम पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी काकड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर। ग्राम पंचायत झाड़ेली जरिये सरपंच तहसील नोखा जिला बीकानेर। स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व नोखा। <p>....रेस्पोंडेंट्स</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2025 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी अपील में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिए अपीलांट अपील को आगे चलाना नहीं चाहता है, विद्वा करना चाहता है। अतः प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील जरिए विद्वावल निर्णित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।</p> <p>हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 29.03.2022 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांट इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं विद्वा करना चाहते है। अतः अपील अपीलांट जरिये विद्वावल (withdrawal) खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय इस न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। आदेश सुनाया गया।</p> <p>(विश्राम मीना) संभागीय आयुक्त, बीकानेर</p>	<p>नो व तारीख जहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
----------------------------------	---	--

